

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग


प0क:-6(7)राज-6/95 /20

जयपुर, दिनांक:- 28-6-10

अधिसूचना


राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 20 (ख) (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सुश्री शरणदीप कौर (प्रशिक्षणार्थी) जिन्हें कार्मिक विभाग की आज्ञा सं0 पं 3/2/1/कार्मिक/क-1/2009 दि0 18.5.2010 के द्वारा अजमेर जिले में सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षणाधीन) के पद पर पदस्थापित किया गया है को सहायक कलेक्टर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से


(नरेश कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव , मा0 राजस्व मंत्री।
2. संभागीय आयुक्त, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
5. जिला कलेक्टर, अजमेर।
6. संबंधित सहायक कलेक्टर।
7. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
8. अधीक्षक अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राज0 जयपुर को अधिसूचना का दि0 28.6.10...राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
9. उप निबंधक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. उप शासन सचिव, विधि संहिताकरण विभाग।
11. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव